न्यायालय तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कौशाम्बी।

एस.टी. संख्या : 26／2017

सरकार बनाम अजय दिवाकर आदि

<u>06.09.2018</u>

पत्रावली पेश हुई। सभी अभियुक्त जेरे हिरासत उपस्थित हैं। कोई साक्षी उपस्थित नहीं हैं।

अभियोजन की ओर से एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में विवेचक राम कुमार पाण्डेय व संगम लाल मिश्रा हैं जिनका नाम गवाहों की सूची में अंकित नहीं किया गया है, साक्ष्य में तलब किया जाना आवश्यक है। तद्नुसार उक्त गवाहान को साक्ष्य में तलब किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त साक्षीगण विवेचक एस.आई. रामकुमार पाण्डेय एवं एस.आई. संगम लाल मिश्र इस मामले के विवेचक है। अतः उनका साक्ष्य होना आवश्यक है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। साक्षीगण एस.आई. राम कुमार पाण्डेय एवं एस.आई संगम लाल मिश्र के साथ ही साथ चिकित्सक डा0 अभय कुमार कुशवाहा भी साक्ष्य हेतु तलब हों। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 17.09.2018 को पेश हो।

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश
कौशाम्बी।